

2023/91

16/5/23 ①

बोपी स्टेशनर्स, मांडवगढ 230289

n pass

राजस्थान सरकार

ता. पेको स्टेशन

( कायदा — 129 )

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डिक्स फार्म नम्बर 8 के न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला-भीलवाड़ा (राज.)

19/9/23

P.D. पानव, झाफ

क्रिस्म मुकरमा 1	नम्बर मुकदमा 2	बारीक दायर 3	तारीख फंसबा 4	फंसबा कमाक 5
53 रा. रु. क.	16/23	28/4/23	12/11/23 26/9/23	

अनुमान

श्री. शोकिता / शर्मिल यादव श्री. चन्दा पुत्री श्रीगणेशदास

निवासी श्री. कल्याणपुरा निवासी पत्नी श्री. सुखपुरा

अधिकारता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

रामफूल यादव

डिक्रीदार

अधिकारता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

रेस्पॉन्डेंट / अवयुताव

श्री. श्री.

# FORM NO. III

## फर्द अहकम

नियम 26

ज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

बिजौलियां

*विवाद*

बनाम

*चन्दा*

किस्म मुकदमा 53

नम्बर 16 सन 2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
28.7.2023	<p>वादपत्र पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 16/05/2023 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां</p>	
16/5/23	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 6/6/23 को वास्ते तलबी पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी</p>	
6/6/23	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिभाषक वादी उपस्थित। प्रतिवादी 2 की बाद तामील प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी 1 को तामील लेने से मना किया। प्रतिवादी कावजद खरग अनुपस्थित। प्रतिवादीगण के विरुद्ध उपस्थित कार्यवाही के भौदेशा पासि लिए गए। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 20/6/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी</p>	
20/6/23	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिभाषक वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 18/07/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा</p>	

18/7/23

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली में पूर्व में एड-पक्षीय कार्यवाही के आदेश किए जा चुके हैं। तहसीलदार बिजौलिया को प्राथमिक डिक्री जारी हो। पत्रावली वास्तु प्राथमिक डिक्री दिनांक 8/8/23 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

8/8/23

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 8/8/23 को वास्तु P.D. पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

22/8/23

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 22/8/23 को वास्तु P.D. पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

5/9/2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 5/9/2023 को वास्तु P.D. पालनी पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

12/9/2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 12/9/23 को वास्तु P.D. पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

19/9/23

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि प्राथमिक डिक्री प्राप्त हो चुकी है, जिस शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्तु निर्णय/वहस दिनांक 26/09/23 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी  
बिजौलिया जिला-भीलवाड़ा

FORM NO. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

जज अदालत

उपखण्ड अधिकारी  
भोजौरिया

मुकाम

भोजौरिया

बनाम

र-६/१

16/23 वर्ष

किस्म मुकदमा

द्वारा 53 रा-क-क नं.


नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

26/09/23

फत्रावली पेश हुई। अधिकारिता वाली  
उपस्थित। फत्रावली में बतल पूर्व में  
सुनी जा चुकी है। निर्णय खुले  
न्यायालय में सुनाया गया। फत्रावली  
में निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया  
जाकर पृष्ठक से लिखा जावे। फत्रावली  
पेन्सिल शुमार होकर, नम्बर से कम  
होकर दाखिल पत्र हो।

  
उप खण्ड अधिकारी  
भोजौरिया जिला-भीलवाड़ा

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - श्रीमती सीमा तिवाड़ी (RAS) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 16/2023

दायर तारीख 28/04/2023

### अनवान

1. अंकिता पत्नि अनिल कुमार जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी कल्याणपुरा तह0 बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. सत्यनारायण पुत्र भगवानलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सुखपुरा तह0 बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. संतोषदेवी पत्नि राजेश कुमार जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बेरीसाल तह0 बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....वादीगण

### बनाम

1. चंदा पुत्री भगवानलाल पत्नि शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी सुखपुरा हाल मुकाम चांदजी की खेड़ी तहसील बिजौलियां।
2. फोरी पुत्री भगवानलाल पत्नि प्रभूलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी सुखपुरा हाल मुकाम बड़ा नयागांव तहसील बिजौलियां।
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब बिजौलियां जिला भीलवाड़ा(राज.)।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :- 1. श्री रामफूल धाकड़ - अधिवक्ता वादीगण

## वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:- निर्णय :-

दिनांक 26/09/2023

संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 18/07/2023 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर मौजा सुखपुरा पटवार हल्का सुखपुरा स्थित आराजी नं0 126 रकबा 1.1493 हैक्टेयर, आराजी नं0 127 रकबा 1.4002 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं जिसमें आराजी संख्या 126 रकबा 1.1493 हैक्टेयर में वादी संख्या 01 का 10/71 हिस्सा एवं वादी संख्या 02 का 984491/3264012 हिस्सा एवं वादी संख्या 03 का 1619/11493 हिस्सा निहित हैं एवं आराजी संख्या 127 रकबा 1.4002 हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 01 का 7/60 हिस्सा एवं वादी संख्या 02 का 7/60 हिस्सा एवं वादी संख्या 03 का 7/20 हिस्सा है वादीगण के हिस्से को मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन के आदेश दिये गये। प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बिजौलिया से लिया गया। तहसीलदार बिजौलिया ने अपने पत्रांक/राजस्व/2023/1228 दिनांक 18.08.2023 को प्रस्तुत कियें। सलंगन पत्रावली है। प्राप्त प्रस्ताव अधिवक्ता वादीगण को स्वीकार है।

अतः वाद पत्र वादीगण अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।


लगातार पेज संख्या 02 पर




उप खण्ड अधिकारी  
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (है०)	किस्म	लगान
01	अंकिता पत्नि अनिल कुमार 20/83 धाकड़ सा.कल्याणपुरा, संतोष देवी पत्नि राजेश कुमार 20/83 धाकड़ सा बेरीसाल, सत्यनारायण पुत्र भगवानलाल 43/83 धाकड़ सा. देह खातेदार	सुखपुरा	126/1	0.6705		
	योग		किता 01	0.6705		
02	चंदा पुत्री भगवानलाल 3/5 धाकड़ सा. देह, फोरी पुत्री भगवानलाल 2/5 धाकड़ सा.देह,	सुखपुरा	126/2	0.4788		
	योग		किता 01	0.4788		
03	अंकिता पत्नि अनिल कुमार 1/5 धाकड़ सा.कल्याणपुरा, संतोष देवी पत्नि राजेश कुमार 3/5 धाकड़ सा बेरीसाल, सत्यनारायण पुत्र भगवानलाल 1/5 धाकड़ सा. देह खातेदार	सुखपुरा	127/1	0.8167		
	योग		किता 01	0.8167		
04	चंदा पुत्री भगवानलाल 3/5 धाकड़ सा. देह, फोरी पुत्री भगवानलाल 2/5 धाकड़ सा.देह,	सुखपुरा	127/2	0.5835		
	योग		किता 01	0.5835		


उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। वकील वादी निर्धारित नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प प्रस्तुत करें तब डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।

  
 (सीमा तिवाड़ी)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 बिजौलियां

निर्णय आज दिनांक 26/09/2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
 (सीमा तिवाड़ी)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 बिजौलियां



  
 उप खण्ड अधिकारी  
 बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - श्रीमती सीमा तिवाड़ी (RAS)

वादपत्र संख्या 16/2023

दायर तारीख 28/04/2023

अनवान

1. अंकिता पत्नि अनिल कुमार जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी कल्याणपुरा तह0 बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. सत्यनारायण पुत्र भगवानलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सुखपुरा तह0 बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. संतोषदेवी पत्नि राजेश कुमार जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बेरीसाल तह0 बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....डिक्रीदार

बनाम

1. चंदा पुत्री भगवानलाल पत्नि शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी सुखपुरा हाल मुकाम चांदजी की खेड़ी तहसील बिजौलियां।
2. फोरी पुत्री भगवानलाल पत्नि प्रभूलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी सुखपुरा हाल मुकाम बड़ा नयागांव तहसील बिजौलियां।
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब बिजौलियां जिला भीलवाड़ा(राज.)।

..... मदयूनान

## वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : 26/09/2023

डिक्री दिनांक : 27/09/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कर्तई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियाँ बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादीगण श्री रामफूल धाकड़ को हुकम दिया है व डिक्री दी जाती है कि :-

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर डिक्री इस आशय कि जारी की जाती है कि निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम ग्राम सुखपुरा पटवार हल्का सुखपुरा के राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। डिक्री मूर्तिब हों।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (है0)	किस्म	लगान
01	अंकिता पत्नि अनिल कुमार 20/83 धाकड़ सा.कल्याणपुरा, संतोष देवी पत्नि राजेश कुमार 20/83 धाकड़ सा बेरीसाल, सत्यनारायण पुत्र भगवानलाल 43/83 धाकड़ सा. देह खातेदार	सुखपुरा	126/1	0.6705		
	योग		किता 01	0.6705		
02	चंदा पुत्री भगवानलाल 3/5 धाकड़ सा. देह, फोरी पुत्री भगवानलाल 2/5 धाकड़ सा.देह,	सुखपुरा	126/2	0.4788		
	योग		किता 01	0.4788		

उप खण्ड अधिकारी  
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा




	अंकिता पत्नि अनिल कुमार 1/5 धाकड़ सा.कल्याणपुरा, संतोष देवी पत्नि राजेश कुमार 3/5 धाकड़ सा वेरीसाल, सत्यनारायण पुत्र भगवानलाल 1/5 धाकड़ सा. देह खातेदार	सुखपुरा	127/1	0.8167		
	योग		किता 01	0.8167		
04	चंदा पुत्री भगवानलाल 3/5 धाकड़ सा. देह, फोरी पुत्री भगवानलाल 2/5 धाकड़ सा.देह,	सुखपुरा	127/2	0.5835		
	योग		किता 01	0.5835		

खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।


नीज ..... Nil ..... मुबलिंग ..... Nil ..... वाबत् ..... Nil ..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर ..... Nil ..... फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक ..... Nil ..... का अदा करे।


बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27 माह 09 वर्ष 2023 को जारी किया गया।

नोट :- प्रकरण में वकील वादी द्वारा स्टाम्प 100 रूपयें का प्रस्तुत करने से डिक्री आज दिनांक / / 2023 को मुर्तिब की गई।

  
(सीमा तिवाड़ी)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	-		स्टाम्प अरजीदया	-	
स्टाम्प वकीलात नामा	-		स्टाम्प वकीलात नामा	-	
स्टाम्प वजह सबूत	-		स्टाम्प वजह सबूत	-	
मेहनताना वकील ( )	-		मेहनताना वकील ( )	-	
खर्चा गवाह	-		खर्चा गवाह	-	
फीस कमीशनर	-		फीस कमीशनर	-	
वाबत् इजराय हुक्मनामा	-		वाबत् इजराय हुक्मनामा	-	
मुनफरिक	-		मुनफरिक	-	
मीजान			मीजान		

  
उप खण्ड अधिकारी  
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

  
(सीमा तिवाड़ी)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां



4.11

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100



ONE HUNDRED RUPEES

उपकोषाधिकारी

₹ 100

05 SEP 2023

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

बिजोलिया, कटोली-बिजोलिया  
जिला-शिकारिप (उज्जैन)

राजस्थान RAJASTHAN

BK 783729

net  
21/9/2023

श्री के साहू  
संलग्न की